14/16 – अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Ag 7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

### निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 14/2016

1 इकबाल सिंह पुत्र जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर वर्तमान निवासी 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

**निगरानीकर्ता**

**बनाम**

2 ग्राम पंचायत, केरा चक जरिये सरपंच ग्राम पंचायत केराचक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3 सुखदेव सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

**गैर निगरानीकर्त्ता**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत केराचक दिनांक 21.01.2013**

उपस्थित :
श्री सरेश कुमार अरोडा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री भजनलाल टाक, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

**आदेश** **दिनांक : 18.09.2017**

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण प्लाट नम्बर 102 पैमाईस 1290 दरगज कालान्तर में भोलानाथ पुत्र श्री बालकनाथ के नाम से दर्ज था तथा भोलानाथ के द्वारा इसको जरिये बैयनामा रजि0 दिनांक 4.8.58 के जगसीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह को विक्रय किया गया। इस प्रकार उक्त मकान का जगसीर सिंह हकदार बना। जगसीर सिंह के वारिसान ने इसे जरिये इकरारनामा दिनांक 20.10.2012 के निगरानीकर्ता को विक्रय किया गया जो कि उक्त मकान में से 4/5 हिस्सा को विक्रय करने का सौदा किया गया था तथा निगरानीकर्ता ने आज तक किसी को उक्त मकान को विक्रय नही किया गया । अब अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा कथित दानपत्र से अपने पुत्र के नाम से करवाने का गत कुछ रोज पूर्व प्रयास किया तो प्रार्थी को पता चलने पर उसने पंचायत से पता किया तो पता चला कि प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 21.01.2013 से उक्त मकान नम्बर102 को पंचायत रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से दर्ज किया हुआ है। प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 21.01.2013 गलत खिलाफ कानुन होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। प्रस्ताव का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि यह बैंक डेट में बाद में दर्ज किया गया है। रजि0 की क्रम सख्या 95 पर प्रस्ताव सख्या 1–2 दर्ज किए जाकर दर्ज किए गए मगर बाद में पेज सख्या 95 पर जगह नीचे खाली रह जाने तथा पेज संख्या 96 पर उपर खाली जगह होने से मिली भगत करके बाद में बैक

14/2016 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर



गलत है। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर प्रस्ताव संख्या 03 कथित प्रस्ताव का रिकॉर्ड मंगवाकर निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकृत प्लाट 102 का 4/5 हिस्सा इकरारनामा दिनांक 20.10.2012 से क्रय किया गया तथा उसने कभी अप्रार्थी संख्या 02 को अथवा अन्य किसी को किसी इकरारनामा आदि से विक्रय नही किया गया। इस प्रकार से कथित इकरारनामा जिसके आधार पर प्रस्ताव सख्या 03 मिली भगत करके रजिस्टर के पेज 95 के नीचे जगह खाली होने का दुरूपयोग करके व कांट छांट कर प्रस्ताव सख्या 03 बैक डेट में दर्ज किया गया है। एवंम इकरारनामा दिनांक 20.12.2012 कूटरचित बनाया गया है क्योंकि वास्तव में निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई भी इकरारनामा नही किया गया है। अतः कूटरचित इकरारनामा बनाकर मिली भगत करके मेरी सम्पति हडपने की नियत से गलत प्रस्ताव बनाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि प्लाट संख्या 102 को इकरारनामा दिनांक 20.12.2012 से क्रय किया गया है। जिस पर निगरानीकर्ता इकबाल सिंह के हस्ताक्षर है। इकरारनामा दिनांक 20.12.2012 जिसमें निगरानीकर्ता इकबाल सिंह ने कथन किया है कि मिकर के पिता जगसीर सिंह की मृत्यु दिनांक 29.11.1993 को हो चुकी है उनकी मृत्यु के बाद जायज व कानूनी वारिस कुल 5 है। मुझ मिकर को 1/5 हिस्सा मेरा है तथा 4/5 हिस्सा मेरी माता,भाई,बहन करनैलकौर पत्नि जगसीर व मन्दरसिंह–कुलवन्तसिंह–गुडडी पि. जगसीरसिंह ने जरिये इकरारनामा बैय से दिनांक 20.12.2012 को प्राप्त हुआ है उक्त कुल आहता/मकान का मौके पर मै मिकर अकेला ही मालिक व काबिज हूँ। मिकर का उक्त मकान आज तक हर प्रकार से सरकारी गैरसरकारी ऋण भार विवाद आदि व स्थगन आदेश से क्लीयर हालत में है तथा मुझ मिकर को जायज जरूरत के रूपये की सख्य जरूरत है इसलिए मुझ मिकर ने उक्त मकान आहाता चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की आबादी भूमि मे से आहाता सख्या 102 कुल 1290 दरगज( मौके पर पैमाईस लम्बाई 130 फुट व चौडाई एक साईड 44 फुट दूसरी तरफ 55 फुट है) मौके पर दो कमरे ,गैलरी,रसोई,पानी डिग्गी, लेट्रिंग बाथरूम एवं तीन कच्चे मकान तामीर शुद्वा मय छत सहित पानी व बिजली कनैक्शन लगा हुआ जैसा मौके पर है का विक्रय बिल मुक्ता राशि मुबलिग 4,00,000/– रूपये अखरे चार लाख रूपये में बहक सुखदेव सिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को बैय व फरोख्त कर दिया है। एव खरीद से तमाम राशि 4 लाख चैक सख्या 589578 दिनांक 20.12.2012 सिंडिकट बैंक श्रीगंगानगर का प्राप्त कर लिया है। अतः निगरानी खारिज करने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष ने आपसी राजीनामा की स्थिति भी न्यायालय को बताई और उसके लिए मौका दिया गया। अप्रार्थी सख्या 01 ग्राम पंचायत केराचक ने अपने पत्र संख्या 301 दिनांक 05.07.2016 से अवगत कराया

14/2016 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

A9/3

सिंह ( अपने ही पुत्र) के नाम निष्पादित कराया जो रिकार्ड पर है, उसमें मौजा चक केरा की पुरानी आबादी भुखण्ड सख्या 102 का 1290 दरगज निस्फ हिस्सा दान कियाहै। पत्रावली पर एक अपंजीकृत ईकरारनामा बैय (20.12.2012) भी है जो इकबाल सिंह पुत्र जगसीर सिंह (निगरानीकर्ता) ने चक केरा की आबादी भूमि में से अहाता संख्या 102 मिन उतरादा साईज 1290 दरगज में अपना 1/5 हिस्सा (130'X 40'–55') तामीरशुद्वा बतकार अप्रार्थी संख्या 02 के हिस्से में बैय व फरोख्त करना जाहिर किया है और क्रेता से 4,00,000/– जरिये चैक 589578 दिनांक 20.12.2012 सिडिकेंट बैंक श्रीगंगानगर का प्राप्त करना स्वीकार किया है। इस संबंध में वैधानिक रूप से संपति अपने पिता व अपने स्वंय के स्वामित्व में होने बाबत प्रमाण स्वरूप रजिस्टर्ड बैयनामा प्रस्तुत किया है, जबकि वह हस्तगत निगरानी के जरिये ग्राम पंचायत मम्मड के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 21.01.2013 को गैर कानूनी मानकर निरस्त करवाना चाहता है। और ग्राम पंचायत को प्रस्ताव संख्या 03 को मिलीभगत कर इकतरफा बताया है और उसका मजमून बाद में जोडा जाना बताया है। इसके अवलोकन से पाया कि उसमें लिखे तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा अपंजीकृत ईकरारनामा दिनांक 20.12.2012 से सुसंगत इस कद्र है कि अहाता सख्या 102 कुल 1290 दरगज( मौके पर पैमाईस लम्बाई 130 फुट व चौडाई एक साईड 44 फुट दूसरी तरफ 55 फुट है) मौके पर दो कमरे ,गैलरी,रसोई,पानी डिग्गी, लेट्रिंग बाथरूम एवं तीन कच्चे मकान तामीर शुद्वा मय छत सहित पानी व बिजली कनैक्शन लगा हुआ जैसा मौके पर है का विक्रय बिल मुक्ता राशि मुबलिग 4,00,000/– रूपये अखरे चार लाख रूपये में बहक सुखदेव सिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को बैय व फरोख्त कर दिया है। एव खरीद से तमाम राशि 4 लाख चैक सख्या 589578 दिनांक 20.12.2012 सिंडिकट बैंक श्रीगंगानगर का प्राप्त कर लिया है। इसके प्रतिफल की राशि रिकॉर्ड पर बैंक स्टेटमेंट से साबित है। उक्त अहाता का बैचान जरिये इकरारनामा करके प्रतिफल प्राप्ति स्वरूप ही ग्राम पंचायत द्वारा हमको इंतकाल अप्रार्थी सख्या 02 के हक में सर्व सम्मति से पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नही है। निगरानीकर्ता चाहे तो अपने और अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य कथित इकरारनामे की वैद्यता सक्षम न्यायालय से सिद्व करवाकर तदनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः निगरानी दोषपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गगानगर।2

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)